

प्रारूप-पांच  
(देखिये नियम-12)  
कालोनी के विकास की अनुमति

अनुमति क्रमांक - 01  
अ/89 (अ) वर्ष 2015-16

तारीख: 04/11/2015

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1999) और उसके अंतर्गत  
निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम,  
1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए-

श्री / श्रीमति / मेसर्स

डायरेक्टर

निवासी

मोहल्ला

ग्राम / वार्ड

नगर

तहसील

जिला

को खसरा क्रमांक

कुल रकबा

ग्राम

- मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड

- सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया

- श्याम चेम्बर कार्यालय हीरापुर रायपुर

- रायपुर

- -

- रायपुर

- रायपुर

- रायपुर

- विवरण पीछे अंकित

- 9.249 हैं0

- गुमा प0ह0नं0 102/32 तहसील रायपुर

स्थित आवासीय कालोनी विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है-

01-नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सख्त प्राधि  
नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में दर्जित शर्तों का पालन करना होगा

02- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन कर  
होगा.

03- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास  
की शर्तों का पालन करना होगा.

04- कालोनाईजर के द्वारा उपरोक्त विकास अनुज्ञा में शासकीय भूमि/अन्य  
के भूमि सम्मिलित कर कालोनी विकास करता है, तो अनुमति स्वयं रजिस्ट्री

स्थान: रायपुर

दिनांक: 04/11/15

Shri. Singhania Builders Pvt. Ltd

अनुविभागीय  
अनुविभागीय  
(सो) रायपुर


Director



मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री  
सिंघानिया को ग्राम गुमा प0ह0नं0 102/32 तहसील रायपुर में दिए

कालोनी विकास अनुमति का विवरण-

ग्राम गुमा प0ह0नं0 32 तहसील रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर- 187 रकबा 0.206 हैं0,  
188/1 रकबा 0.275 हैं0, 188/2 रकबा 0.130 हैं0, 189/1 रकबा 0.091 हैं0, 189/2  
रकबा 0.360 हैं0, 189/3 रकबा 0.091 हैं0, 189/4 रकबा 0.089 हैं0, 189/5, रकबा 0.  
089 हैं0, 190 रकबा 0.243 हैं0, 191 रकबा 0.534 हैं0, 192 रकबा 0.320 हैं0, 193 रकबा  
0.486 हैं0, 194/1 रकबा 0.223 194/2 रकबा 0.283 हैं0, 196/1 रकबा 0.170 हैं0,  
196/2 रकबा 0.359 हैं0, 197/2 रकबा 0.276 हैं0, 198/1 रकबा 0.101 हैं0, 198/2  
रकबा 0.089 हैं0, 199 रकबा 0.239 हैं0, 200/2 रकबा 0.101 हैं0, 200/3 रकबा 0.101  
हैं0, 259/1 रकबा 0.292 हैं0, 259/5 रकबा 0.080 हैं0, 259/6 रकबा 0.202 हैं0,  
259/7 रकबा 0.097 हैं0, 259/8 रकबा 0.057 हैं0, 259/9 रकबा 0.077 हैं0, 261/2  
रकबा 0.008 हैं0, 261/4 रकबा 0.281 हैं0, 261/5 रकबा 0.134 हैं0, 261/6 रकबा 0.  
134 हैं0, 261/7 रकबा 0.134 हैं0, 261/8 रकबा 0.596 हैं0, 261/9 रकबा 0.877 हैं0,  
261/10 रकबा 0.580 हैं0, 262/2 रकबा 0.227 हैं0, 263/23 रकबा 0.343 हैं0,  
263/24 रकबा 0.202 हैं0, 263/25 रकबा 0.042 हैं0, 263/26 रकबा 0.030 हैं0 कुल  
रकबा 9.249 हैं0

  
अनुविभागीय अधिकारी  
रायपुर (उ.प्र.)  
रायपुर (उ.प्र.)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1999) और उसके अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तों) नियम, 1999 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए-

श्री/श्रीमति/मेसर्स	- मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
डायरेक्टर	- सुबोध सिंघानिया पिता श्री श्यामलाल सिंघानिया
निवासी	- श्याम चेम्बर कार्यालय हीरापुर रायपुर
मोहल्ला	- रायपुर
ग्राम/वार्ड	- -
नगर	- रायपुर
तहसील	- रायपुर
जिला	- रायपुर
को खसरा क्रमांक	- विवरण पीछे अंकित
कुल रकबा	- 5.415 हे०
ग्राम	- बाना प०ह०न० 102/31 तहसील रायपुर

स्थित आवासीय कालोनी विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है-


- 01-नगर भूमि सीमा तथा नियंत्रण अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र में वर्णित शर्तों का पालन करना होगा.
- 02- छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता में कथित भू-व्यपवर्तन की शर्तों का पालन करना होगा.
- 03- छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा.
- 04- कालोनाईजर के द्वारा उपरोक्त विकास अनुज्ञा में शासकीय भूमि/अन्य भूमिस्वामी के भूमि सम्मिलित कर कालोनी विकास करता हैं, तो अनुमति स्वयं निरस्त मानी जावेगी.

स्थान: रायपुर

दिनांक: 04/11/15

For. Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

अनुविभागीय अधिकारी  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
(रा०) रायपुर (छ.ग.)  
(रा०) रायपुर (छ.ग.)

  
Director



मेसर्स सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया को ग्राम बाना प०ह०नं० 102/31 तहसील रायपुर में दिए गए

कालोनी विकास अनुमति का विवरण-

ग्राम बाना प०ह०नं० 102/31 रा०नि०मं० धरसीवां तहसील रायपुर स्थित भूमि खसरा नंबर- 363/1 रकबा 0089 हैं०, 363/2 रकबा 0.307 हैं०, 364/4 रकबा 0.154 हैं०, 364/5 रकबा 0.182 हैं०, 364/6 रकबा 0.136 हैं०, 365/2 रकबा 0.218 हैं०, 386 रकबा 0.287 हैं०, 387, रकबा 0.263 हैं०, 388 रकबा 0.105 हे० 389 रकबा 0.125 हैं०, 390 रकबा 0.089 हैं०, 391/1 रकबा 0.247 हैं०, 391/2 रकबा 0.085 392/2 रकबा 0.215 हैं०, 392/3 रकबा 0.295 हैं०, 392/4 रकबा 0.157 हैं०, 392/5 रकबा 0.214 हैं०, 393 रकबा 0.429 हैं०, 394/1 रकबा 0.247 हैं०, 394/2 रकबा 0.437 हैं०, 394/3 रकबा 0.239 हैं०, 394/4 रकबा 0.162 हैं०, 394/5 रकबा 0.405 हैं०, 394/6 रकबा 0.125 हैं०, 394/7 रकबा 0.126 हैं०, 397/386 रकबा 0.077 कुल रकबा 5.415 हैं०

  
अनुविभागीय अधिकारी  
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)  
(स०) रायपुर (छ.ग.)  
रायपुर (छ.ग.)


यह बंधक पत्र दिनांक 21.10.2013 का सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया आत्मज श्यामलाल सिंघानिया, कार्यालय - श्याम चेंबर, हीरापुर रोड, रायपुर छ0ग0 जिसे आगे चलकर कालोनाईजर पक्ष क्रमांक -1 (एक) कहा गया है। ग्रामपंचायत - गुमा, तह. व जिला रायपुर(छ.ग.) को पक्ष क्रमांक -2 कहा गया है। पक्ष क्रमांक -1 के द्वारा ग्रामपंचायत गुमा जो कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के अंतर्गत है के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम की धारा 61(क) से 61(घ) के सहपठित धारा 95 की उपधारा 1 नियम 12 तक के अनुसार पक्ष क्रमांक-1 (एक) के पक्ष में कालोनाईजर क्र. 43 अ/89/2009-10 दिनांक 20.05.2010 को जारी किया गया है एवं कालोनाईजर पक्ष क्रमांक-1(एक) के द्वारा विकास अनुमति बाबत नियम-13(क) के तहत ग्रामपंचायत के आंतरिक विकास प्राकलन का 2 प्रतिशत सुपर विजन चार्ज एवं बाह्य विकास शुल्क 10.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर देय है। तथा विकास की प्रस्तावना में भूखण्ड बंधक रखने का प्रावधान भी है। इसलिए यह बंधकनामा पक्ष क्रमांक-1 (एक) पक्ष क्र. 2 (दो) के पक्ष में निष्पादित कर रहे है जो इस प्रकार है:-


01- यह कि पक्ष क्रमांक 01 (एक) कालोनाईजर स्वीकृत अभिन्यास के प्रकरण क0.11563/न.ग्रा.नि./पीएल -234/10/2015, रायपुर दिनांक 03.08.2015 जो कि खसरा नंबर 187, 188/1, 188/2, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 190, 191, 192, 193, 194/1, 194/2, 196/1, 196/2, 197/2, 198/1, 198/2, 199, 200/2, 200/3, 259/1, 259/5, 259/6,


क्रमशः-2

18/10/2013

  
Director

For. Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

  
Director

  
सरपंच  
ग्राम पंचायत-गुमा  
वि.सं.-धरसीवा,



259/7, 259/8, 259/9, 261/2, 261/4, 261/5, 261/6, 261/7, 261/8, 261/9, 261/10, 262/2, 263/23, 263/24, 263/25, 263/26 कुल क्षेत्रफल 9.249 हे० जिसमें आवासीय योजना क्षेत्र 28791.39 वर्गमीटर स्थित मौजा ग्राम गुमा, प.ह.नं. -102/32 तहसील व जिला रायपुर में विकास की प्रस्तावना के बदले जो क्षेत्र एवं भूखण्ड बंधक रखे गये है उसका विवरण निम्नानुसार है :-

**बंधक प्लाट का विवरण**

टोटल प्लाटेड एरिया (गुमा एवं बाना):- 52584.74 वर्गमीटर,

प्लाटेड एरिया (गुमा):- 28791.39 वर्गमीटर,

बंधक एरिया = प्लाटेड एरिया का 25%

अर्थात् 28791.39 वर्गमीटर का 25% 7197.84 वर्गमीटर

**बंधक डिटेल्:-**

स्कूल एरिया + कन्यूटी एरिया + प्लाट एरिया

1838.02 व.मी. + 3864.61 व.मी. + 1521.85 व.मी. = 7224.48 व.मी.

**प्लाट क्रमांक एवं रकबा :-**


प्लाट नं. 82 रकबा 187.09 वर्गमीटर, प्लाट नं. 110 रकबा 134.26 वर्गमीटर, प्लाट नं. 111 रकबा 142.78 वर्गमीटर, प्लाट नं. 176 रकबा 198.06 वर्गमीटर, प्लाट नं. 361 रकबा 96.08 वर्गमीटर, प्लाट नं. 362 रकबा 55.69 वर्गमीटर, प्लाट नं. 363 रकबा 55.63 वर्गमीटर, प्लाट नं. 419 रकबा 55.69 वर्गमीटर, प्लाट नं. 420 रकबा 203.47 वर्गमीटर, प्लाट नं. 421 रकबा 202.34 वर्गमीटर, प्लाट नं. 422 रकबा 55.69 वर्गमीटर, प्लाट नं. 434 रकबा 135.01 वर्गमीटर कुल प्लाट 12 कुल 1521.854 वर्गमीटर ।

02- यह कि, कालोनाईजर पक्ष क्र. 01(एक) निर्धारित अवधि में पूर्णतः विकास (प्रारूप अनुसार) पूर्ण कर पक्ष क्र.02(दो) ग्राम पंचायत को सूचना देंगे। तत्पश्चात् ही बंधकशुदा उपरोक्त प्लॉट मुक्त होगा ।


03- यह कि यदि कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया, तो पक्ष क्र.02 (दो) को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बंधक शुदा भूखण्ड को विक्रय कर शेष विकास कार्य पूर्ण करायेगा और यदि ऐसी कार्यवाही में पक्ष क्र.02(दो) को अधिक खर्च आता है तो ऐसी अतिरिक्त व्यय राशि पक्ष क्र.-01(एक) से वसूली जा सकेगी ।

04- यह कि, पक्ष क्र.01(एक) कालोनाईजर बंधक शुदा प्लॉट/भू-खण्ड को अंतरण नहीं कर सकेगा न ही किसी व्यक्ति या संस्था को किराये पर दे सकेगा ।


ingania Buildcon Pvt. Ltd.



Director Ingania Buildcon Pvt. Ltd.



22/02/20



Director

क्रमशः-3



05- यह कि इस बंधकनामा में कालोनाइजर पक्ष क्र.01(एक) एवं ग्रामपंचायत पक्ष क्र.02(दो) के शब्दों की अभिव्यक्ति में उसके दायद / उत्तराधिकारी, प्रशासक आदि सम्मिलित समझे जावेंगे ।

अतः उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप पर बंधकनामा पक्ष क्रमांक 01 ने निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष पक्ष क्रमांक 02 के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद् रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवें ।

दिनांक :

गवाह

01.हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता .....

पता .....

.....

पक्ष क्रमांक - 1

Director

02.हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता .....

पता .....

.....

पक्ष क्रमांक - 2

13/05/2018  
ग्राम पंचायत - मुभा  
वि.सं. - धरतीवा.

For, Singhanis Buildcon Pvt. Ltd.

Director

12



## बंधक पत्र

यह बंधक पत्र दिनांक 27.10.2015 को सिंघानिया बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा डायरेक्टर श्री सुबोध सिंघानिया आत्मज श्यामलाल सिंघानिया, कार्यालय - श्याम चेंबर, हीरापुर रोड, रायपुर छ0ग0 जिसे आगे चलकर कालोनाईजर पक्ष क्रमांक -1 (एक) कहा गया है। ग्रामपंचायत बाना, तह. व जिला रायपुर(छ.ग.) को पक्ष क्रमांक -2 कहा गया है। पक्ष क्रमांक -1 के द्वारा ग्रामपंचायत बाना जो कि अनुविभागीय अधिकारी रायपुर के अंतर्गत है के पक्ष में निष्पादित किया जाता है।


छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम की धारा 61(क) से 61(घ) के सहपठित धारा 95 की उपधारा 1 नियम 12 तक के अनुसार पक्ष क्रमांक-1 (एक) के पक्ष में कालोनाईजर क्र. 4 अ/89/2010-11 दिनांक 16.11.2010 को जारी किया गया है एवं कालोनाईजर पक्ष क्रमांक-1(एक) के द्वारा विकास अनुमति बाबत नियम-13(2) के तहत ग्रामपंचायत के आंतरिक विकास प्राकलन का 2 प्रतिशत सुपर विजन चार्ज एवं बाह्य विकास शुल्क 10.00 रुपये प्रतिवर्ग मीटर देय है। तथा विकास की प्रस्तावना में भूखण्ड बंधक रखने का प्रावधान भी है। इसलिए यह बंधकनामा पक्ष क्रमांक-1 (एक) पक्ष क्र.2 (दो) के पक्ष में निष्पादित कर रहे है जो इस प्रकार है:-

01- यह कि पक्ष क्रमांक 01 (एक) कालोनाईजर स्वीकृत अभिन्यास के प्रकरण क्र0. 11563/न.ग्रा.नि./पीएल -234/10/2015, रायपुर दिनांक 03.08.2015 जो कि खसरा नंबर 363/1, 363/2, 364/4, 364/5, 364/6, 365/2, 386, 387, 388, 389, 390, 391/1, 391/2, 392/2, 392/3, 392/4,


Singhania Buildcon Pvt. Ltd.




Director

 कमश:-2  
ग्राम पंचायत बाना  
दि.खं.-घ.सीदा (छ.ग.)

For: Singhania Buildcon Pvt. Ltd.



Director



392/5, 393, 394/1, 394/2, 394/3, 394/4, 394/5, 394/6, 394/7, 397/386 कुल क्षेत्रफल 5.415 हे० जिसमें आवासीय योजना क्षेत्र (प्लॉट एवं अपार्टमेंट) 29166.11 वर्गमीटर स्थित मौजा ग्राम बाना, प.ह.नं. -102/31 तहसील व जिला रायपुर(छ.ग.) में विकास की प्रस्तावना के बदले जो क्षेत्र एवं भूखण्ड बंधक रखे गये हैं उसका विवरण निम्नानुसार है :-

### बंधक प्लॉट का विवरण

टोटल प्लॉट एरिया (गुमा एवं बाना) 52584.74 वर्गमीटर,

प्लॉट एरिया (बाना):- 23793.35 वर्गमीटर,

अपार्टमेंट एरिया:- 5372.76 वर्गमीटर

बंधक एरिया = प्लॉट एरिया एवं अपार्टमेंट एरिया का 25 प्रतिशत

अर्थात् 23793.35 + 5372.76 = 29166.11 वर्गमीटर का 25 %  
7291.52 वर्गमीटर

बंधक डिटेल्:-

स्कूल एरिया + अपार्टमेंट एरिया (ब्लाक -सी) + प्लॉट एरिया

506.67 व.मी. + 2452.80 व.मी. + 4350.29 व.मी. = 7309.76 व.मी.

प्लॉट क्रमांक एवं रकबा:-

प्लॉट नं. 95 रकबा 481.774 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 96 रकबा 196.43 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 97 रकबा 111.31 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 127 रकबा 111.31 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 128 रकबा 140.75 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 129 रकबा 206.23 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 130 रकबा 111.31 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 146 रकबा 152.71 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 147 रकबा 170.65 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 160 रकबा 125.83 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 161 रकबा 299.804 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 162 रकबा 142.29 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 305 रकबा 92.88 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 306 रकबा 92.88 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 307 रकबा 182.95 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 308 रकबा 124.18 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 345 रकबा 374.439 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 346 रकबा 141.94 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 343 रकबा 92.88 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 344 रकबा 92.88 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 390 रकबा 105.31 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 391 रकबा 113.72 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 444 रकबा 111.86 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 445 रकबा 118.13 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 468 रकबा 80.65 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 469 रकबा 78.18 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 498 रकबा 68.96 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 499 रकबा 61.39 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 533 रकबा 41.76 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 534 रकबा 45.38 वर्गमीटर, प्लॉट नं. 535 रकबा 79.53 वर्गमीटर कुल प्लॉट 31 कुल रकबा 4350.297 वर्गमीटर

For, Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

Director

Director प्राप्त संकायत शान्त  
दि. खं. - ४ तीका (छ.ग.)

कमशा:-3



02- यह कि, कालोनाईजर पक्ष क्र. 01(एक) निर्धारित अवधि में पूर्णतः विकास (प्रारूप अनुसार) पूर्ण कर पक्ष क्र.02(दो) ग्राम पंचायत को सूचना देंगे। तत्पश्चात् ही बंधकशुदा उपरोक्त प्लॉट मुक्त होगा।

03- यह कि यदि कालोनाईजर द्वारा विकास कार्य नहीं किया गया, तो पक्ष क्र.02 (दो) को यह अधिकार होगा कि वह उक्त बंधक शुदा भूखण्ड को विक्रय कर शेष विकास कार्य पूर्ण करायेगा और यदि ऐसी कार्यवाही में पक्ष क्र.02(दो) को अधिक खर्च आता है तो ऐसी अतिरिक्त व्यय राशि पक्ष क्र.-01(एक) से वसूली जा सकेगी।

04- यह कि, पक्ष क्र.01(एक) कालोनाईजर बंधक शुदा प्लॉट/भू-खण्ड को अंतरण नहीं कर सकेगा न ही किसी व्यक्ति या संस्था को किराये पर दे सकेगा।

05- यह कि इस बंधकनामा में कालोनाईजर पक्ष क्र.01(एक) एवं ग्रामपंचायत पक्ष क्र.02(दो) के शब्दों की अभिव्यक्ति में उसके दायद /उत्तराधिकारी, प्रशासक आदि सम्मिलित समझे जावेंगे।

अतः उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप पर बंधकनामा पक्ष क्रमांक 01 ने निम्नलिखित दो गवाहों के समक्ष पक्ष क्रमांक 02 के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवें।

दिनांक :

पक्ष क्रमांक -1

गवाह

01.हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पिता .....  
पता .....  
.....

02.हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पिता .....  
पता .....  
.....

पक्ष क्रमांक - 2

.....  
.....  
.....

For Singhania Buildcon Pvt. Ltd.

.....  
Director

